GCMS-2023/93

(नियम 26)

अज अदालत : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर

रितेश कुमार बनाम जगदीश चंद्र व अन्य

अपील प्रकरण सं0 17/2023

अधिवक्ता निगरानीकर्ता :– श्री बलराम सुथार   अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता :– बलकरणसिंह बराड़

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख
28.04.2023	अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित। अपील वाद रिपोर्ट पेश हुई। रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाती है। स्थगन प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता अपीलार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपनी अपनी बहस में अपीलार्थी की एक पक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस में कथन किया गया कि चक 2 एसडीएस तहसील सादुलशहर पटवार हल्का चरामखेड़ा के खाता संख्या–66/66 के मुरब्बा नंबर–54,55व 56 की कुल 7.590 हैक्टेयर कृषि भूमि अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 5 के नाम दर्ज रिकार्ड थी। जिसमें प्रार्थी का 1/6 हिस्सा दर्ज रिकार्ड था, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी को बगैर सुने प्रार्थी के संयुक्त खाता के रकबा विभाजन का आदेश जारी किया, जो अपीलांट को बिना पक्षकार बनाएं एवं बिना प्रार्थी को सुने बिना ही एक तरफा आदेश दिनांक 09.10.2017 जारी किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी विभाजन आदेश की क्रियान्विती को स्थगित रखा जाकर मौका एवं रिकॅार्ड की यथास्थिति बनाए रखी जाए। प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संन्तुलन अपीलार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। फलस्वरूप अपीलार्थी का स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ता 06 को पाबन्द किया जाता है कि आगामी तारीख पेशी तक चक 2 एसडीएस तहसील सादुलशहर पटवार हल्का चरामखेड़ा के खाता संख्या–66/66 के मुरब्बा नंबर–54,55 व 56 की कुल 7.590 हैक्टेयर कृषि भूमि को रहन, बैय व अन्यत्र स्थान्तरित नहीं करेंगें एवं मौका एवं रिकॅार्ड की यथास्थिति बनाये रखेंगें। अपीलार्थी आदेश 39 नियम 3 सीपीसी की पालना करना सुनिश्चित करें। उक्त पालना में विफल रहने पर उक्त आदेश स्वतः निष्प्रभावी माना जायेगा। रेस्पोडेन्ट एवं रिकॅार्ड तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 23.05.2023 को पेश हो। [signature] अति.जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर	
23.05.23	अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित। अधिवक्ता श्री बलकरणसिंह बराड़ द्वारा पूर्व में दिनांक 9.5.23 को [illegible], जवाब [illegible] 41 व 5 मय रेस्पो० नं० 1,3 की ओर से [illegible] प्रस्तुत किया गया था। पत्रावली [illegible] बहस स्थगन प्रार्थना पत्र दिनांक 25/5/23 को पेश हो। [signature]	

06.5.26 अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली वास्ते शेष तलबी रिकार्ड 12.5.26 को पेश हो।

12.5.2026

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित नहीं। अधिवक्ता अपीलार्थी को पृथक–पृथक समय पर रूक–रूक कर, बार–बार आवाजें लगाई गईं, लेकिन वे हाजिर नहीं हुए। ऐसी स्थिति में अपील अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज की जाती है। आदेश की प्रति सम्बन्धित तहसीलदार को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं रिकार्ड लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें व बाद तरतीब तकमील जिला अभिलेखागार में जमा कराई जावे।

आदेश सुनाया गया।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner